गुआंग्डोंग स्कीम

परिचय

1. सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्कीम के अंतर्गत गुआंग्डोंग (जीडी) स्कीम के पात्र हांगकांग के 65 या इसके ऊपर आयु वर्ग के बुजुर्ग लोग जो गुआंग्डोंग में रहते हैं का चयन करके बुजुर्ग भत्ता प्रदान करने के लिए है। इस पत्रक में गुआंग्डोंग स्कीम की प्रमुख विशेषताएं बताई जा रही हैं।

पात्रता मानदंड

2. एक आवेदक जीडी स्कीम के अंतर्गत भत्ते का पात्र है यदि वह:

(a) निम्नलिखित निवास आवश्यकताओं को संतुष्ट करे :

(1) वह हांग कांग का कम से कम सात साल से निवासी होना चाहिए; और

(2) वह हांगकांग में आवेदन की तारीख से तुरंत पहले कम से कम लगातार एक साल से रह रहे हों। (हांगकांग में एक वर्ष की अवधि के दौरान 56 दिनों तक अधिकतम अनुपस्थित रहने पर भी उसे हांगकांग में निवासी के रूप में माना जाएगा) (कृपया पैराग्राफ 3 देखें);

(b) आयु 65 वर्ष या इस के ऊपर है [65-69 आयु वर्ग के आवेदक को आय और संपत्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा (कृपया उल्लेख परिशिष्ट देखें)];

(c) भत्ता प्राप्ति के दौरान जीडी में रहना होगा (जीडी स्कीम के अंतर्गत एक भत्ता प्राप्तकर्ता को पूरे साल भुगतान प्राप्त करने के लिए एक भुगतान वर्ष के भीतर कम से कम 60 दिनों के लिए जी.डी. में रहना आवश्यक हैं) ;

(d) हांगकांग से जाने से पहले हांग कांग में उसकी/उसके सार्वजनिक किराये आवास इकाई को वापिस समर्पित करना चाहिए या यदि वह एक अधिकृत जनता आवास में किरायेदार है तो उसके नाम से किरायेदारी हटाएं;

(e) सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्कीम के अंतर्गत अन्य भत्ता या व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता स्कीम के अंतर्गत सहायता की प्राप्ति नहीं कर रहा है; और

(f) कानूनी अभिरक्षा में या निरुद्ध दण्डनीय संस्था में नहीं है।

इस स्कीम के प्रथम वर्ष में विशेष व्यवस्था

3. जीडी स्कीम (यानी, 1 अक्टूबर 2013 से 30 सितंबर 2014 के लिए), की विशेष व्यवस्था को लागू करने के पहले वर्ष में हांग कांग में रहने वाले बुजुर्ग लोग, जो जीडी पहले से ही स्थानांतरित हो चुके हैं उनके लिए, और अन्य सभी पात्रता मापदंड को संतुष्ट करने के लिए (उदाहरण के लिए 65-69 वर्ष की आयु के आवेदकों के लिए पात्रता आयु, आय और संपत्ति सीमा की अनुमति देना आदि.) इस जीडी स्कीम से हांगकांग में एक वर्ष सतत निवास के नियम को पूरी तरह से संतुष्ट किए बिना लाभ प्राप्त किया जा सकता है । इन आवेदकों कों जीडी (उदाहरण के लिए किराये की रसीदें, उपयोगी बिल आदि) में उनके निवास के दस्तावेजी सबूत प्रदान करना जरूरी हैं और वे आवेदन की तारीख से तुरंत पहले तक जीडी में लगातार कम से कम एक साल से रहते हैं इसकी घोषणा करना आवश्यक है (जीडी में रहते हुए एक वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतम 56 दिनों अनुपस्थित रहने वाले को भी जीडी निवासी ही माना जाएगा)।

आवेदन प्रक्रियाएं

4. हांगकांग में आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक हैं इसके लिए सबसे पहले आवेदक जीडी स्कीम के आवेदन फार्म को पूरा भर कर उसके साथ हाल ही में खिंची दो तस्वीरों को और सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी को डाक द्वारा, सामाजिक सुरक्षा फील्ड यूनिट (गुआंग्डोंग स्कीम) के लिए इस पते पर भेजें : यूनिट 2110-2111, 21/एफ, लैंडमार्क उत्तर, 39 लंगसम एवेन्यू,

शेयंग शुई हांगकांग। जीडी स्कीम के आवेदन प्रपत्र और मार्गदर्शन नोट्स सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र इकाइयों (जीडी स्कीम) से प्राप्त किया जा सकता है या SWD की जीडी स्कीम (www.swd.gov.hk/gds) वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

5. जैसे ही एक आवेदन पत्र प्राप्त होता है, विभाग, जहां आवश्यक हो, पूरक जानकारी के लिए, सामाजिक सुरक्षा फील्ड यूनिट (जीडी स्कीम) पर आवेदक के साथ एक साक्षात्कार की व्यवस्था करने से पहले पूछ सकते हैं। आवेदक को शेड्यूल किए गए साक्षात्कार में भाग लेने के समय प्रासंगिक दस्तावेजों की मूल प्रतियां जैसे हांग कांग आईडी कार्ड, यात्रा दस्तावेज के रूप में साथ लाने की जरूरत है। एक आवेदक जो 65 और 69 आयु वर्ग के बीच का है उसे भी प्रासंगिक दस्तावेजों से संबंधित दस्तावेज़ की मूल प्रतियां जैसे कि मासिक आय और संपत्ति दस्तावेज साथ लाने चाहिए। जांच के पूरा होने पर, आवेदक को एक नोटिस जारी करके परिणाम उसे सूचित किया जाएगा ।

नोट

(1) विभाग अब जीडी स्कीम के आवेदकों से आवेदन स्वीकार करता है। विभाग जीडी स्कीम के आवेदकों जो एक महीने के भीतर अपनी योग्यता आयु (यानी, 65वें या 70वें जन्मदिन) तक पहुंच रहे हैं से भी आवेदन स्वीकार करता है। इस स्कीम के तहत भत्ते का भुगतान आवेदक द्वारा भरी गई उम्र योग्यता की तारीख से गणना करके और सभी पात्रता मापदंड से संतुष्ट होने के बाद किया जाएगा।

(2) एक विशेष व्यवस्था के तहत जीडी स्कीम को लागू करने के पहले वर्ष में, आवेदक जो पहले से ही जीडी में निवास के लिए गया है और वह सार्वजनिक अस्पताल/क्लिनिक का मेडिकल सबूत देता है कि वह आवेदन प्रक्रिया के लिए हांगकांग की यात्रा करने में सक्षम नहीं हो सकता है, तब विभाग आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए ऐजन्ट नियुक्त करेगा।

<u>भुगतान की दर और भुगतान विधि</u>

6. पात्र आवेदक को भत्ता मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है।

7. पात्रता के सभी मानदंड को पूरा करने के बाद, भुगतान जीडी स्कीम के कार्यान्वयन की तारीख (यानी, 1 अक्टूबर 2013) या विभाग द्वारा आवेदन की प्राप्ति सूचना या पात्रता की तारीख की तिथि जो भी बाद में है, से भुगतान की गणना की जाएगी । आवेदक के हांगकांग में नामित बैंक खाते में भत्ता एक महीने में एक बार जमा किया जाएगा। आवेदक खाते से भत्ता इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था करने का जिम्मेदार वह खुद है (उदाहरण के लिए, वह जीडी में भुगतान करने के लिए बैंक के साथ व्यवस्था कर सकते हैं)। इस प्रकार किए गए कोई भी खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जायेंगे ।

<u>अपील</u>

8. यदि आवेदक समाज कल्याण विभाग के निर्णय के साथ सहमत नहीं है, तो वह सामाजिक सुरक्षा अपील बोर्ड, से एक अपील दर्ज करा सकते हैं,जो एक स्वतंत्र इकाई है जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियुक्त गैर-अधिकारी होंगें। सामाजिक कल्याण निदेशक द्वारा इस फैसले की तारीख के बाद चार सप्ताह के भीतर एक अपील दर्ज कराई जानी होगी। अपील प्रक्रियाओं के बारे में पूछताछ सामाजिक सुरक्षा फील्ड यूनिट (जीडी स्कीम) से की जा सकती है।

<u>संदिग्ध धोखाधड़ी और दुरुपयोग मामलों की रिपोर्टिंग</u>

9. जानबूझकर धोखे द्वारा भत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी जानकारी रोक लेना या झूठा बयान देना एक अपराध है। संदिग्ध धोखाधड़ी और दुरुपयोग के मामलों की रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग विशेष हॉटलाइन 2332 0101 के माध्यम से की जा सकती है।

परिशिष्ट

गुआंग्डोंग स्कीम के अंतर्गत आय और संपत्ति

- "आय" में रोजगार से मजदूरी, शिल्प और व्यापार, से आय आदि (वेतन, मजदूरी, मासिक कमीशन या प्राप्त किया बोनस, और स्व-रोजगार से मासिक आय सहित), सेवानिवृत्ति लाभ /पेंशन शामिल हैं, और एकत्र किराये पर शुद्ध आय मानी जा सकती है। परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों या मित्रों से योगदान और रिवर्स बंधक स्कीमों के तहत प्राप्त मासिक भुगतान को बाहर रखा गया है, लेकिन कोई भी खर्च नहीं की गई और जमा राशि/नकदी "संपत्ति" के रूप में मानी जाएगी।
- "संपत्ति(1) " मेंभूमि और गैर-स्वामी-अधिकृत संपत्ति(2), नकदी, बैंक बचत, स्टॉक्स में निवेश और शेयर (बांड, ट्रस्ट फंड और उपार्जित सेवानिवृत्ति लाभ(3)) शामिल हैं, निवेश के लिए (उदाहरण के लिए टैक्सी और सार्वजनिक हल्की बसें) और उनके व्यापार लाइसेंस, और सोने की पट्टी के और सोने के सिक्के, आदि शामिल हैं। मालिक की अधिकृत संपत्ति, भविष्य में स्वयं के बेहतर उपयोग के लिए, और बीमा योजनाओं के नकद मूल्य शामिल नहीं हैं।

नोट :

(1) हांगकांग, मकाऊ, मुख्य भूमि या विदेशी भूमि वाले शामिल हैं।

(2) केवल एक आवासीय संपत्ति जो गुआंग्डोंग में मुख्य निवास है के मूल्य की अवहेलना की जाएगी। अन्य संपत्ति जो आवेदक और/या उसके/उसकी पति या पत्नी के अलग से या संयुक्त रूप से स्वामित्व में है को "गैर-स्वामी-अधिकृत संपत्ति" के रूप में समझा जायेगा और "संपत्ति" के आकलन के लिए शामिल किया जाऐगा।

(3) उपार्जित सेवानिवृत्ति लाभ वर्तमान में सेवानिवृत्ति के लाभ के लिए अनिवार्य प्रोवीडेन्ट फंड ("MPF") स्कीम (स्कीम्स) या अन्य सेवानिवृत्ति स्कीम (स्कीम्स) में आयोजित भत्ता संदर्भित करता है। ऐसे उपार्जित लाभों की अनुमानित कुल राशि वक्तव्यों (MPF न्यासी द्वारा जारी किए गए नवीनतम लाभ) के द्वारा दी जानकारी पर या अन्य सेवानिवृत्ति स्कीमों के न्यासी / प्रबंधकों द्वारा प्राप्त जानकारी या अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर आधारित होगी ।

(4) निर्धारित सीमा के स्तर की जानकारी सामाजिक सुरक्षा फील्ड यूनिट (जीडी स्कीम) या किसी भी सामाजिक सुरक्षा फ़ील्ड यूनिट में सामाजिक कल्याण विभाग की या सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट (www.swd.gov.hk) पर प्राप्त की जा सकती है।

पता, टेलीफोन नंबर और सामाजिक सुरक्षा फील्ड यूनिट (गुआंग्डोंग स्कीम) के खुलने का समय

गुआंग्डोंग स्कीम पूछताछ हॉटलाइन:		3105 3266
कार्यालय	**पता**	**टेली फोन नं.**
सामाजिक सुरक्षा फील्ड यूनिट (गुआंग्डोंग स्कीम)	यूनिट 2110-2111, 21/एफ, लेंडमार्क उत्तर, 39 लंगसुम एवेन्यू, शेयुंग शुई, हांगकांग।	3105 3294
खुलने का समय		
सोमवार से शुक्रवार:	सुबह 8:45 से दोपहर 1:00 तक दोपहर 2:00 से शाम 6:00 तक	
शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों में:	बंद	
विभागीय हॉटलाइन सेवा यूनिट		2343 2255

अगस्त 2013